TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 29th MARCH, 2000

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
****

New Delhi, dated the 29th March, 2000

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O. 698(E) dated the 3rd October, 1997, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 12, Purchase of equipments for Manilal Rikhavchand Kothari Lions Orthopaedic and General Hospital and running of said hospital at Navsari, Gujarat, by Navsari Lions Sarvajanik Charitable Trust, Ashapuri Road, Dudhia Talav, Navsari, Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-99.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Purchase of equipments for Manilal Rikhavchand Kothari Lions Orthopaedic and General Hospital and running of said hospital at Navsari, Gujarat, which is being carried out by Navsari Lions Sarvajanik Charitable Trust, Ashapuri Road, Dudhia Talav, Navsari, Gujarat, at the estimated cost of rupees one crore fifty-six lakhs eighty thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2001-2002.

(POMELA B. PRASAD)
Director(National Committee)

No. 11304

F.No. NC-5/2000

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में दिनांक 29 मार्च, 2000 को प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2000

अधिसूचना

सा0 आ0 (अ) जबकि आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 3 अक्तूबर, 1997 को जारी की गई अधिसूचना सं0 सा0 आ0 698 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं0 12 पर नवसरी लायन्स सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट, आशापुरी रोड, दुधिया तालाब, नवसरी गुजरात द्वारा नवसरी गुजरात में स्थित मणिलाल रिखावचन्द कोठारी लायन्स आर्थोपिडिक और सामान्य हस्पताल के लिए उपकरणों की खरीद और उस हस्पताल को चलाने की योजना को वर्ष 1998-99 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था ।

और जैसा कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है,

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है,

अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवसरी लॉयन्स सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट, आशापुरी रोड, दुधिया तालाब, नवसरी गुजरात द्वारा नवसरी, गुजरात में स्थित मणिलाल रिखावचन्द कोठारी लॉयन्स आर्थोपिडिक और सामान्य हस्पताल के लिए उपकरणों की खरीद और उस हस्पताल को चलाने की स्कीम अथवा परियोजना को मात्र एक करोड़ छप्पन लाख अस्सी हज़ार रूपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

(पोमिला बी0 प्रसाद)
निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

सं0 11304
फा0सं0 एन0सं0-5/2000